V. मू.सां.वि-1-भाग ख (मू.सां.वि.-1ख)

मू.सां.वि.-1ख विवरणी में रु. 2,00,000 और उससे कम राशि की ऋण सीमाओं से युक्त खातों के संदर्भ में समेकित रूप से जानकारी प्रस्तुत की जाती है। इन खातों को पुन: दो ऋण-सीमा आकार समूहों में बांटा गया है यथा 'रु. 25,000 और इससे कम' और 'रु. 25,000 से अधिक और रु. 2 लाख तक'

2. फार्मेट में निर्धारित व्यावसायिक संवर्गों के अनुसार खातों को विभिन्न समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। इनमें से प्रत्येक व्यावसायिक संवर्ग के लिए खातों की संख्या, ऋण सीमाएं और बकाया राशियों को अलग-अलग जोड़ा जाए और संबंधित कॉलम में दर्ज किया जाए।

3. प्रस्तुत विवरणी विशेषत: हाथ से तैयार करने में सहायता पहुंचाने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक शाखा / कार्यालय के पास एक कार्य-बही हो जिसमें प्रत्येक व्यावसायिक संवर्ग के लिए पर्याप्त संख्या में पृष्ठ हों। प्रत्येक पृष्ठ पर उधार खाते की ऋण-सीमा, बकाया राशि और आस्ति वर्गीकरण तथा उधारकर्ता का लिंग वर्गीकरण लिखने के लिए स्तंभ रखे जाएं। दो ऋण सीमा आकार-समूहों के लिए अलग पृष्ठ या स्तंभ दिये जा सकते हैं।

4. रु. 2,00,000 और उससे कम राशि की ऋण-सीमा वाले खातों को खाता बही / रजिस्टरों से निकाल कर लिए जाएं। मीयादी ऋणों के मामलों में ऋण-सीमा को कार्यकारी सीमा (अर्थात् स्वीकृत ऋण-सीमा में से चुकाया जा चुका मूलधन घटाने के बाद बचा शेष) माना जाय। जहां कोई निर्दिष्ट ऋण-सीमा मंजूर नहीं की गयी है, वहां बकाया राशि को ऋण-सीमा के रूप में माना जाएं। प्रत्येक खाते की ऋण-सीमा और बकाया राशि के आंकड़े संबंधित स्तंभ के अंतर्गत व्यवसाय विशेष के लिए निर्धारित पृष्ठ में दर्ज किये जाएं। प्रत्येक व्यवसाय के लिए दर्ज किये गये खाते की संख्या, ऋण-सीमा और बकाया राशि के जोड़ बाद में किये जा सकते हैं।

5. मू.सां.वि.-1ख में रिपोर्ट किये गये उधार खातों का आस्ति वर्गीकरण सभी व्यवसाय संवर्गों के साथ समेकित किया जाय और 901 से 904 तक के मद कूटों के सामने प्रत्येक आकार समूह के लिए अलग दर्ज किया जाय यथा 'रु. 25,000 और इससे कम' और 'रु. 25,000 से अधिक और रु. 2 लाख तक'

6. मू.सां.वि -1ख में रिपोर्ट किये गये व्यक्तिगत उधार खातों से संबंधित लिंग वर्गीकरण पर सूचना को, प्रत्येक आकार-समूह के लिए, अलग-अलग मद कूट 911 और 912 के सामने समेकित किया जाय।

7. मू.सां.वि -1ख में रिपोर्ट किए गए खातों के जमानती / गैर-जमानती वर्गीकरण को प्रत्येक आकार-समूह के लिए, अलग-अलग क्रमश: कूट संख्या 921 और 922 के सामने, समेकित किया जाए।

8. मू.सां.वि -1ख में रिपोर्ट किए गए उधार खातों के संबंध में ब्याज दर समूह वार समेकित आँकड़ा कूट संख्या 931 और 939 के लिए प्रत्येक आकार-समूह के लिए, अलग-अलग दिया जाए।

9. मू.सां.वि -1ख में रिपोर्ट किए गए खातों की स्थिर और अस्थिर ब्याज़ दर संबंधी समेकित सूचना कूट संख्या 941 और 942 के लिए प्रत्येक आकार-समूह के लिए, अलग-अलग दिया जाए।

मू.सां.वि.-1ख भरने हेतु अनुदेश

1. भाग 'ख' में रिपोर्ट करने के लिए निर्दिष्ट सीमा:

रु. 2, 00,000 और इससे कम की ऋण-सीमा वाले खातों को ही समेकित रूप में भाग '**ख**' में सूचित करें।

2. मद कूट (स्तंभ 1):

विभिन्न व्यवसायगत संवर्गों कों वर्गीकृत करने के लिए मू.सां.वि.-1**ख** के प्रारुप में मद कूट संख्याओं को 3-अंक के कूट दिये गये हैं। मू.सां.वि-1 (क या **ख**) के तहत रिपोर्ट किये जाने वाले समस्त व्यक्तिगत खातों के लिए लेजर में ही समुचित कूट दे दिया जाए जैसे खाते का प्रकार कूट, व्यवसाय कूट, ऋण के उपयोग का जिला कूट, उधारकर्ता की श्रेणी कूट इत्यादि। छोटे उधार खातों के मामलों में, जिनकी ऋण-सीमा रु. 2,00,000 से कम की हो, जिन्हें मू.सां.वि-1 **ख** में रिपोर्ट किया जाना है, इस पुस्तिका में दिये गये संपर्क सारणी के आधार पर भी 1-ख कूट दिये जा सकते हैं और उसके बाद मू.सां.वि.-1**ख** में रिपोर्ट करने हेतु 1ख व्यवसाय कूटों को संक्षेपण किया जा सकता है।

3. व्यवसाय (स्तंभ 2)

समूह / उप समूह शीर्षों के सामने आंकड़े न दिये जाएं। इसे सुनिश्चित करने के लिए फार्म में संबंधित स्थानों पर क्रास (x) चिह्न मुद्रित किया गया है।

4. खातों की संख्या (स्तंभ 3):

यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक व्यवसाय समूह और ऋण सीमा समूह में खातों की कुल संख्या (वास्तविक) सही-सही दर्शायी जाती है। इस स्तंभ को रिक्त न छोड़ा जाए।

5. ऋण-सीमा (स्तंभ 4):

प्रत्येक व्यवसाय के लिए कुल ऋण सीमा हजार रुपये में दी जाएं। ऋण-सीमा दर्ज करते समय दशमलव बिंदु को टाला जाए। एनपीए ख़ातों को शामिल किया जाए। समेकन (कंपाइलेशन)के पहले, एनपीए ख़ातों के ऋण सीमा को यदि हो तो, मंजूर की गई तदर्थ सीमा मानी जाए, या अव्यवस्थित (आउट ऑफ़ ऑर्डर) मामलों में, बकाया राशि के बराबर माना जाए। एनपीए खातों को मू.सां.वि.-1क या मू.सां.वि.-1ख में मंजूर की गई तदर्थ सीमा के आधार पर शामिल किया जाए (आहरण सीमा (ड्राइंग लिमिट) का उपयोग न किया जाए)।

6. बकाया राशि (स्तंभ 5):

प्रत्येक व्यवसाय समूह की कुल बकाया राशि हजार रुपयो में सूचित की जाए। मू.सां.वि.-1ख में समेकन (कंपाइलेशन)के पहले, जमा शेष (क्रेडिट बैलेंस)वाले खातों अर्थात् नकद ऋण और ओवरड्राफ्ट में बकाया राशि शून्य, न कि ऋणात्मक (निगेटिव) दर्शायी जाये।

7. मू.सां. वि-1ख जोड़ (कूट 900) :

यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक कॉलम का कुल जोड़ कूट 900 के सामने दर्ज किया जाय। कूट संख्या नंबर 190,191,192; और 390, 391, 392, 393, 394 और 751, 752, 753 और 810, 820, 830 के अंकों को हटाकर

कुल जोड़ निकाला जाय क्योंकि इनसे संबंद्ध एकल (इंडिविजुअल) कूट संख्या में ये पहले ही शामिल किए जा चुके हैं।

8. मू.सां.वि-1ख के अंतर्गत आस्ति वर्गीकरण

इस खण्ड (कोड 901 से 910) के तहत मू.सां.वि-1**ख** में रिपोर्ट किये गये खातों का आस्ति वर्गीकरण दिया जाना है। सभी आस्तियों का जोड अर्थात् आइटम कोड 910 का कोड संख्या 900 के जोड़ के साथ मेल होना आवश्यक है।

9. मू.सां.वि-1ख के अंतर्गत लिंग (स्त्री/पुरु ष) वर्गीकरण

इस खण्ड (कूट 911 से 920) के तहत रु. 2,00,000 या उससे कम ऋण-सीमा के प्रत्येक खाते 'पुरुष' और 'स्त्री' (कोड 911 और 912) के अनुसार वर्गीकृत किये जाने हैं। कुल दूसरे खाते (एकल को छोड़कर) आइटम कोड 913 के तहत दिए जाएं।संयुक्त खाते के मामले में प्रथम खातेदार का लिंग खातों के वर्गीकरण का आधार होगा। मू.सां.वि.-1ख उधार खातों अर्थात कूट संख्या 920 का कुल योग कूट संख्या 900 के सामने दिये गये कुल योग से अधिक नहीं होना चाहिए।

10. मू.सां.वि.-1ख के तहत खातों का जमानती / बेजमानती वर्गीकरण

इस खंड (कोड 921 से 930) में मू.सां.वि.-1ख के तहत रिपोर्ट किए गए खातों का वर्गीकरण उनके जमानती / बेजमानती स्टेटस के अनुसार होगा। सभी मू.सां.वि.-1ख ख़ातों का कुल अर्थात् कूट संख्या 930 का कूट संख्या 900 के जोड़ के साथ मेल होना आवश्यक है।

11. मू.सां.वि.-1ख के तहत खातों का ब्याज़ दर समूह के अनुसार वर्गीकरण

इस खंड (कूट 931 से 940) में मू.सां.वि.-1ख के तहत रिपोर्ट किए गए खातों का ब्याज़ दर समूह के अनुसार वर्गीकरण देना होगा। सभी मूं.सां.वि.-1ख ख़ातों का कुल अर्थात् कूट संख्या 940 का कूट संख्या 900 के कुल के साथ मेल होना आवश्यक है।

12. मू.सां.वि.-1ख के तहत खातों का ब्याज़ दर के प्रकार के अनुसार वर्गीकरण

इस खंड (कूट 941 से 950) में मूं.सां.वि.-1ख के तहत रिपोर्ट किए गए खातों का वर्गीकरण उनके स्थिर/अस्थिर ब्याज दर प्रकार के अनुसार होगा। सभी मू.सां.वि.-1ख ख़ातों का जोड़ अर्थात् कूट संख्या 950 का कूट संख्या 900 के जोड़ के साथ मेल होना आवश्यक है।

13. मू.सां.वि-1 का सारांश

इस खण्ड (कोड 990, 991 और 992) के तहत, मू.सां.वि-1क और मू.सां.वि-1-**ख** में रिपोर्ट किये गये खातों का सारांश दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि मद कूट 90 के सामने दर्ज कुल बकाया शाखा के कुल बकाया से मेल खाये। सर्वेक्षण वर्ष के मार्च महीने के अंतिम शुक्रवार को, धारा 42(2) के फार्म क विवरणी के अंतर्गत रिपोर्ट किये गये अंतर-बैंक अग्रिमों को छोड़कर भारत में बैंक ऋण की कुल बकाया राशि दी जानी चाहिए। (कूट सख्या 999)